<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 30.11.2022</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा,14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमरजीत सिंह की अपराध कारित कर अर्जित बैंक में 05 लाख 54 हजार रुपये को कुर्क कर फ्रीज कराया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 30.11.2022 को तहसीलदार सदर, श्री सुशील प्रताप सिंह मय राजस्व टीम व प्र0नि0 थाना फूलबेहड़, श्री बलवन्त शाही मय पुलिस फोर्स के संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 427/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अमरजीत सिंह पुत्र केवल सिंह नि0 ग्राम अगर खुर्द थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी द्वारा अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित कर इण्डियन बैंक सुन्दरवल में स्वयं के खाते में 5,54,023 रुपये जमा किए थे। जिसे 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क करते हुए बैंक में फ्रीज कराया गया है।

<u>कुर्क कर फ्रीज की गई सम्पत्ति का विवरण-</u>

कुल 5,54,023 रुपयों को कुर्क कर बैंक में फ्रीज कराया गया

<u>कुर्क कर बैंक खाते को फ्रीज कराने की कार्यवाही करने वाली टीम-</u>

1. तहसीलदार सदर, श्री सुशील प्रताप सिंह मय राजस्व टीम

2. प्र0नि0 थाना फूलबेहड़, श्री बलवन्त शाही मय पुलिस टीम

यातायात माह, नवम्बर 2022 समापन समारोह

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवम्बर दिनांक 01.11.2022 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 30.11.2022 को समाप्त हुआ, जिसका समापन समारोह पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री अरुण कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी द्वारा की गई। उक्त अवसर पर धर्म सभा इंटर कॉलेज, गांधी इंटर कॉलेज, स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज, सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी के 520 छात्र-छात्राएं, एनसीसी कैडेट, शिक्षकगण एवं यातायात पुलिसकर्मी शामिल हुए। "यातायात जागरूकता अभियान के तहत रैली को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया। रैली जेल गेट होते हुए जीआईसी तिराहा, सदर चौराहा, हमदर्द चौराहा, विलोवी हाल तिराहा, लोहिया भवन होते हुए पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी पहुंच कर सफल संपन्न हुई।

सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर के समापन समारोह में क्षेत्राधिकारी सदर श्री संदीप कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिव नारायण, यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी गणों द्वारा भाग लिया गया, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एनसीसी कैडेटों को पैम्पलेट देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया एवं साथ ही यातायात सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सराहनीय योगदान देने वाले ट्रैफिक वॉलिंटियर आदर्श कुमार वर्मा, एनसीसी कैप्टन श्री राजकुमार सिंह एनसीसी कैडेटों, छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं यातायात पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

माह नवंबर 2022 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस एवं जनपद खीरी के थाना पुलिस द्वारा कुल 12,540 वाहनों का चालान, 65 वाहन सीज कर 1,44,09,500 (एक करोड़ 44 लाख नौ हजार पांच सौ) जुर्माना मोटरयान अधिनियम के तहत किया गया।

<u>थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, दहेज हत्या के पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.11.22 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 476/22 धारा 468ए/3045 बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त नन्हे बाबू उर्फ दीन मोहम्मद पुत्र सईदुर्रहमान व वांछित अभियुक्ता नमूना बेगम पत्नी सईदुर्रहमान नि0गण कस्बा व थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को हरिहरपुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1-नन्हे बाबू उर्फ दीन मोहम्मद पुत्र सईदुर्रहमान नि0 कस्बा व थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2-नमूना बेगम पत्नी सईदुर्रहमान नि0 कस्बा व थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उ0नि0 दुर्वेश कुमार
2-का0 अंकित कुमार
3-म0का0 अंकिता चौधरी

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, विभिन्न चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 नफर अभियुक्तो को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.11.22 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत विभिन्न चोरी के अभियोगों में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित सामान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विजय पाल उर्फ छोटू पुत्र रामविलास निवासी ग्राम डीगरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
2.मैकू पुत्र भोला निवासी ग्राम अमनिया थाना फरधान जनपद खीरी

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

पीली धातु के कान के कुण्डल – 01 जोडी
पीली धातु के नाक के फूल – 01 जोडी
पीली धातु की सुई धागा – 01 जोडी
सफेद धातु पायल – 03 जोडी
सफेद धातु बिछिया – 02 जोडी
सफेद धातु के सिक्का – 03
सोलर बैटरी – 02
लोहे की राड – 01
ताबा का लोटा – 01 अदद
4,250 रुपये नगद
विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान

अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0स0 1343/2022 धारा 454/380/411भादवि
2-मु0अ0स0 1355/2022 धारा 457/380/411 भादवि
3-मु0अ0स0 1362/2022 धारा 457/380/411 भादवि

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री टीटू कुमार (चौकी प्रभारी राजापुर कोतवाली सदर)
2-का0 साहिद खान
3-का0 जितेन्द्र कुमार यादव
4-का0 दिलीप कुमार
5-का0 दुष्यन्त कुमार

<u>थाना खीरी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस सहित 01 नफर अभियुक्त बिरला पुत्र दीनबंधु को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 29.11.22 को थाना खीरी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त बिरला पुत्र दीनबंधु नि0 बेलिहान थाना फूलबेहड जनपद खीरी 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बारमदगी के आधार पर थाना खीरी पर मु0अ0सं0 401/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 384 लीटर अवैध शराब बरामद कर 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>384 लीटर अवैध</u>** कच्ची शराब व **<u>04 शराब भट्टी</u>** बरामद कर **<u>27 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>26 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।

वारंटी अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में विभिन्न अभियोगों में 05 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में कार्यवाही करते हुए जनपद के विभिन्न थानों द्वारा विभिन्न अभियोगों में कुल **05 नफर वारण्टी** अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार सभी वारंटी अभियुक्तों का चालान माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।